

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

तारीख हुक्म	
17.9.15	उभयपक्ष उपस्थित। वादियों में संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें वादी एवम् पत्नी पतिवादी वकीलानों की मदद। पतिवादी पत्र पेश करने हेतु निर्णय 15.10.15 को पेश हो।
15.10.15	उभयपक्ष उपस्थित, पतिवादी वकीलानों संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें वादी एवम् पत्नी वकीलानों की मदद। प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्णय 29.10.15 को पेश हो।
29.10.15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है। अवकाश पर है। पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक..... 19.11.15 को पेश हो।
19.11.15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है। अवकाश पर है। पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक..... 26.11.15 को पेश हो।
26.11.15	पत्रावली पेश हुई, अर्थोपपन्नता का उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र पर इसी में दिनांक 19-3-15 को बहस सुनी गई थी, पत्रावली राजस्व मंडल के निगरानी याचिका में जार्न से उगाज हुन। उभय पक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली वास्तव आदेश दिनांक 10-12-15 को पेश हो।
10-12-15	पत्रावली पेश हुई, वादिया श्रीमती प्रेम अंबद पुत्री आनसि पति देवी सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर कि आदेश दिनांक 2-9-11 द्वारा स्टेशनगढ़ लहरील मंडल की प्रबन्धन उग्रराजियाल 6047 रकबा 3 बीघा 11 दिनांक

6048 रकबा 4 बीघा, 6049 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा;
6066 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, 6067 रकबा 7 बिघा
9 बिस्वा, 6069 रकबा 14 बिस्वा कुल किला 6 रकबा
28 बीघा 15 बिस्वा पर अस्थाई निवेधान जारी
की जाकर विपरीतता की जायेगी नोटिस ललख
दिया गया।

प्रतिवादी स०। श्रीमती कैलाश कवर पालि
बिवाहिता द्वारा अवाध पैदा कर अवगत कराया गया
कि बादिना स्वयं हाथों से न्यायालय में नहीं आये
हैं यादों विवाहित आराजियाल पुत्र नहीं है तो उसके
द्वारा बलाया जाए अपने के अनुमान विवाहित
आराजियाल में मानसिंह के लड़के का भी एक
हिस्सा बनता है। किन्तु बादिना ने उन्हें जान-बूझ
कर संशोधित नहीं किया है। यह प्रति उनके
स्थान पर श्री बिवाहिता की 1-1-1964 के कर्नाली शान्ति
से मिली है। एवं प्रति की सुपुत्र के बाद प्रथम जेपी
की धारित होने के बाद उसके भाग दर्ज हुई है।
तथा 26-8-2011 को उसके द्वारा यह प्रति श्री संगम
सिंह पिला गुंमान सिंह को प्रेषित कर उसे कब्जा भी
करा दिया है। उक्त लोभ-लालच की भावना से
पैरिल होकर यह बाद एवं प्रार्थना पर युस्तुल किया
गया है जो पौखरीय नहीं है। यकरण में नव संशोधित
प्रतिवादी स० श्री संगम सिंह ने अपने अवाध में
अवगत कराया कि उसने प्रथमगत प्रति श्रीमती
कैलाश कवर से दिनांक 26-8-2011 को ही कय कर
ली थी, कय की जानकारी के बाद बादिना में सोची
समझी चाल के तहत भ्रष्ट दावा पैदा कर अंतरिम
संशोधन प्राप्त किया है, उक्त बादिना का प्रार्थना-यल
रकारीय किया जाये। संशोधित प्रार्थना-यल पर भी
उक्त विपरीतता में यही कथन दोहराया।

वकील बादिना ने दौरान बहस अवगत कराया
कि प्रथमगत प्रति पुत्र नहीं है उक्त बादिना एक-हिस्से
का अधिकारी है, संशोधन के अभाव में प्रथमगत प्रति
सुपुत्र सुपुत्री होगी, जिससे उक्त अपूर्वनीय शक्ति होगी।
वकील बादिना द्वारा R 135 (16) 2009 पैज-78 RRD
1993 पैज-206, R 135 (13) 2006 पैज-417 व ललखिया
अनुसूची के रजम में हुंताल पैदा करले हुए, स्थाई

तारीख
हुक्म

निवेदना की मांग की गई। वकील पुलिसवादी के
द्वारा बताया गया कि पुलिसवादी ने पुलिसवादी के
के पते को उनके पिता श्री शिव सिंह को भेजा
करवाया गया है। एवं पुलिसवादी विरासत
की पुलिसवादी के नाम दर्ज है, वादियां मांगी
शिव सिंह को विरासत में नई हक नहीं बनवा है
महज लॉकर में आकर वाद एवं प्रार्थना - पत्र
पेश किया गया है, जो रजिस्ट्रार को भेजा है।

मामले में वकील वादियां द्वारा पुलिसवादी के
एवं पुलिसवादी तथा पुलिसवादी द्वारा पुलिसवादी के
वकील पुलिसवादी की बहस एवं मांगें राजस्व
ऑफिसर पर मनन करने पर यह स्पष्ट है कि
पुलिसवादी के सम्बन्ध 2020 से 2023 की प्रमाणों की
कि ऑफिसर अनुसूची 50 वर्ष पहली श्री मान सिंह
द्वारा करवाया के आधार पर श्री शिव सिंह के नाम
दर्ज है; श्री शिव सिंह की मृत्यु के पश्चात् यह
मामले के लॉकर नंबर के नाम दर्ज होकर पुलिसवादी
को श्री संगम सिंह को विक्रय हो चुकी है, इस
प्रकार प्रथम पुलिसवादी श्रीमाले प्रेम कौर
को अपूर्णता भरी होने एवं पुलिसवादी संतुलन
के बिन्दु का नई होल आधार प्रतीत नहीं होता है,
अतः प्रार्थना पत्र वादियां अनुसूची 212 RTA
रजिस्ट्रार किया जाकर पुर्न में जारी अन्वय-निवे
दना रजिस्ट्रार की जाती है, पुलिसवादी के लॉकर
नम्बर होकर नम्बर भी कम है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मण्डल